न्यायालयः—विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) नसरूल्लागंज, जिला सीहोर, म.प्र.

{समक्ष : वैभव सक्सेना}

(निर्णय दिनांक 07 फरवरी 2023)

Case No. SC-99/2022
Filing No.-SC/1145/2022
CNR No.-MP3706001419-2022
Filing Date-17/10/2022

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अभियोजन/परिवादी		मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—नसरूल्लागंज जिला—सीहोर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा		श्री शिरीष उपासनी विशेष लोक अभियोजन
अभियुक्तगण	1	सत्यप्रकाश जाटव, आयु—33 वर्ष, आत्मज रेवाराम जाटव, निवासी—तलाई मोहल्ला नसरूल्लागंज, जिला सीहोर म.प्र.।
	2	अभिषेक, आयु—25 वर्ष, आत्मज मयाराम धनवारे, निवासी ग्राम—गुलरपुरा, थाना नसरूल्लागंज, जिला सीहोर म.प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा		अभियुक्त सत्यप्रकाश द्वारा—श्री एल.एन. यादव अधिवक्ता
		अभियुक्त अभिषेक द्वारा —श्री बलराम यादव अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	14.07.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	16.07.2022
आरोप पत्र की तारीख	17.10.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	14.11.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	16.11.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	07.02.2023
निर्णय की तारीख	07.02.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि/अभिरक्षा में लिये जाने की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि

1	सत्यप्रकाश जाटव, आयु–33 वर्ष, आत्मज रेवाराम जाटव, निवासी–तलाई मोहल्ला नसरूल्लागंज, जिला सीहोर म.प्र.।	17.10.22	17.10.22	धारा 354क, 354घ, 294, 509, 506 भाग दो भा.द.स. एवं धारा 11 सहपठित धारा 12 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	निरंक
2	अभिषेक, आयु–25 वर्ष, आत्मज मयाराम धनवारे, निवासी ग्राम–गुलरपुरा, थाना नसरूल्लागंज, जिला सीहोर म.प्र.।	17.10.22	17.10.22	–––''–––	–––''––	––''––	–––''––

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षीः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	अभियोक्त्री	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.–2	अभियोक्त्री के पिता	अन्य साक्षी
अ.सा.–3	अभियोक्त्री की बहन	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा.–4	अभियोक्त्री के चाचा	चक्षुदर्शी साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षीः

स. क.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी :–

स. क.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजनः–

स. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1/अ.सा. 1	लिखित आवेदन पत्र
2	प्रदर्श पी. 2/अ.सा. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी. 3/अ.सा. 1	मौका नक्शा
4	प्रदर्श पी. 4/अ.सा. 1	पुलिस कथन (अभियोक्त्री)
5	प्रदर्श पी. 5/अ.सा. 1	164 द.प्र.स. के कथन
6	प्रदर्श पी. 6/अ.सा. 2	पुलिस कथन (अभियोक्त्री के पिता)
7	प्रदर्श पी. 7/अ.सा. 3	पुलिस कथन (अभियोक्त्री की बहन)
8	प्रदर्श पी. 8/अ.सा. 4	पुलिस कथन (अभियोक्त्री के चाचा)

ख. प्रतिरक्षा :

स. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन :–

श्रेणी	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं :–

सं.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

पुलिस थाना–नसरूल्लागंज, जिला–सीहोर (म.प्र.) के अपराध क्र. 456/2022 अंतर्गत धारा 354क, 354घ, 294, 509, 506 भाग दो भा.द.स. एवं धारा 11 सहपठित धारा 12 लैंगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 से उद्‌भूत विशेष सत्र प्रकरण।

:: आदेश ::

अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.

01. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–354क, 354घ, 294, 509, 506 भाग दो भा.द.

स. एवं धारा 11 सहपठित धारा 12 लैंगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक 14.07.2022 को शाम 16:50 बजे के बीच बस स्टेण्ड ग्राम बोरखेड़ाकलॉ अंतर्गत थाना नसरूल्लागंज में अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन का लैंगिक उत्पीड़न किया, अवयस्क अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन से व्यक्तिगत अन्योन्य किया बढ़ाने के लिए उसके द्वारा अनिच्छा प्रकट किये जाने के बावजूद बार–बार उसका पीछा कर, सम्पर्क करने का प्रयत्न किया, सार्वजनिक स्थान पर या उसके समीप अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन की लज्जा का अनादर करने के आशय से अश्लील टिप्पणी और इशारे किये, ऐसा करके आपने उसकी एकांतता का अतिक्रमण किया, अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन जो कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं है, का लैंगिक उत्पीड़न किया।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 14.07.2022 को शाम 04:30 बजे वह तथा उसकी चचेरी बहन उसके चाचा के साथ उनकी मोटरसाईकिल में बैठकर ग्राम इटावा कला सेनसरूल्लागंज स्तुति बिहार कालोनी आ रही थी। ग्राम गिल्लौर में सत्यप्रकाश जाटव व अभिषेक धनवारे उनकी कार निसान मेग्राईट क. एम.पी. 04 ईसी. 9940 लेकर मिले और उसके चाचा को बोले कि इन लड़कियों को उसकी कार में बिठा दो। उसके चाचा ने मना कर दिया तो, वे दोनों कार से बुरी नियत से उनके पीछे पीछे आने लगे और रास्ते में रूका रूको कहने लगे। सत्यप्रकाश ड्राइवर से बोला कि दोनों लड़कियों को पकड़कर कार में पटक लो तथा दोनों उसकी तरफ गंदे–गंदे इशारे करने लगे कार द्वारा उनका पीछा करते हुए ग्राम बोरखेड़ा बस स्टेण्ड तक आ गये। बस स्टेण्ड बोरखेडा में दोनों गाडी से उतरकर उन्हें मां, बहन की गंदी गंदी गांलियां दी और कहा कि ''तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी तुम हमें जानते नहीं हो क्या, हम बहुत बडे गुण्डे है।'' इतने में उनकी बाते सुनकर बोरखेड़ा बस स्टेण्ड के लोग आ गये और उन्होंने सत्यप्रकाश व अभिषेक से बचाया। दोनों जाते हुए कह रहे थे कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना नसरूल्लागंज द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध

पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, अभियोक्त्री का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा–164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित कराया गया। विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्तगण को पैरा क्र. 1 के अनुसार आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा। अभियोजन की ओर से 4 साक्षियों के कथन लेखबद्ध कराये गये। अभियुक्तगण का धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुए उभयपक्ष को सुना जाकर धारा 232 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह आदेश पारित किया जा रहा है।

04. न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय हैं कि–

(1) क्या अभियुक्तगण ने 14.07.2022 को शाम 16:50 बजे के बीच बस स्टेण्ड ग्राम बोरखेड़ाकलॉ अंतर्गत थाना नसरूल्लागंज में अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन का लैंगिक उत्पीड़न किया ?

(2) क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने अवयस्क अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन से व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया बढ़ाने के लिए उसके द्वारा अनिच्छा प्रकट किये जाने के बावजूद बार–बार उसका पीछा कर, सम्पर्क करने का प्रयत्न किया ?

(3) क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सार्वजनिक स्थान पर या उसके समीप अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

(4) क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन की लज्जा का अनादर करने के आशय से अश्लील टिप्पणी और इशारे किये, ऐसा करके आपने उसकी एकांतता का अतिक्रमण किया?

(5) क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

(6) क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन जो कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं है, का लैंगिक उत्पीड़न किया?

//सकारण निष्कर्ष//

विचारणीय प्रश्न क. 1 लगायत 6

05. उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निष्कर्ष समान तथ्यों पर अधारित होने से उनका एक साथ विशलेषण किया जा रहा है।

06. अभियोक्त्री (अ0सा0–1) का कथन है कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी सत्यप्रकाश व अभिषेक को नहीं जानती है। घटना लगभग 3–4 माह पूर्व शाम के समय की है। वह उसके चाचा के साथ मोटरसाईकिल से उसकी चचेरी बहन के साथ नसरूल्लागंज आ रहे थे। रास्ते गिल्लौर पहुंचे थे, तब एक कार ने उन्हें खतरनाक तरीके से ओवरटेक किया, जिससे वे लोग घबरा गए थे। उसके बाद वे सभी लोग घर पर आए फिर थाने में रिपोर्ट करने के लिए गए थे। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नही की थी। अभियोक्त्री के पिता (अ0सा0–2), अभियोक्त्री की बहन (अ0सा0–3) एवं अभियोक्त्री के चाचा (अ0सा0–4) ने अभियोक्त्री (अ0सा0–1) के कथन का समर्थन किया है।

07. स्वयं अभियोक्त्री (अ0सा0–1), अभियोक्त्री की बहन (अ0सा0–3) एवं अभियोक्त्री के चाचा (अ0सा0–4), जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है, ने घटना होने से इंकार किया है। अभियोक्त्री (अ0सा0–1) ने अपने कथन में यह बताया कि लिखित आवेदनपत्र प्र.पी.–1 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–2 एवं मौका नक्शा प्र.पी. 3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने पर उन्हें अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे, परंतु ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं होतें है, जिसका लाभ अभियोजन को उसके मामले को प्रमाणित करने में प्राप्त हो। प्रकरण में उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षीगण के कथन नहीं कराये हैं।

08. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं है कि घटना, दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन का लैंगिक उत्पीड़न किया, व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया बढ़ाने के लिए उसके द्वारा अनिच्छा प्रकट किये जाने के बावजूद बार–बार उसका पीछा कर, सम्पर्क करने का प्रयत्न किया,

सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, अभियोक्त्री एवं उसकी चचेरी बहन की लज्जा का अनादर करने के आशय से अश्लील टिप्पणी और इशारे किये, ऐसा करके आपने उसकी एकांतता का अतिक्रमण किया, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं है, का लैंगिक उत्पीड़न किया। इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा–354क, 354घ, 294, 509, 506 भाग दो भा.द.स. एवं धारा 11 सहपठित धारा 12 लैंगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012** के अंतर्गत आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है। इसलिए अभियुक्तगण को उक्त आरोपों में **दोषमुक्त** किया जाता है।

09. अभियुक्तगण के जमानत एवं बंधपत्र धारा 437ए दं.प्र.सं. के प्रावधान के पालन में 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगा, 6 माह पश्चात् अभियुक्त के जमानत एवं बंधपत्र भारमुक्त किया जाये।

10. प्रकरण में जप्तशुदा कार क्र. एम.पी. 04 ई.सी. 9940 को सुपुर्ददार सत्यप्रकाश जाटव आत्मज रेवाराम जाटव, आयु–33 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 02 तलाई मोहल्ला नसरूल्लागंज, थाना नसरूल्लांगज, जिला सीहोर म.प्र. को सुर्पदनामा पर प्रदान किया गया है। उक्त सुर्पदनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

11. अभियुक्तगण ने अन्वेषण जांच एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में कोई अवधि व्यतीत नहीं की है।

12. आदेश की एक प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट को दं.प्र.सं. की धारा 365 के अंतर्गत प्रेषित की जाये।

आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित किया।

(वैभव सक्सेना)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
नसरूल्लागंज जिला, सीहोर म.प्र.

(वैभव सक्सेना)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
नसरूल्लागंज जिला, सीहोर म.प्र.

VAIBHAV SAXENA

Digitally signed by VAIBHAV SAXENA
Date: 2023.02.07 17:08:40 +0530